

प्रेषक,

डा० मेहरबान सिंह बिष्ट,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण उत्तराखण्ड,  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:-1

देहरादून: दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

विषय:-केन्द्रपोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत (PMKSY) Per Drop More Crop घटक की वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना के सापेक्ष केन्द्रांश धनराशि की प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)xxvii(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 एवं आपके पत्र संख्या-3013/PMKSY/AAP 17-18/2017-18, दिनांक-29 नवम्बर 2017, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि केन्द्रपोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(PMKSY) के अन्तर्गत Per Drop More Crop घटक हेतु वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना के सापेक्ष सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मदों में अवमुक्त प्रथम किस्त की केन्द्रांश धनराशि ₹720.00लाख के सापेक्ष ₹432.10 लाख(रुपये चार करोड बत्तीस लाख दस हजार मात्र) निम्न सारणीनुसार आपके निर्वतन पर कम्प्यूटर आई-डी सहित रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

क्रमांक	मद संख्या	अवमुक्त केन्द्रांश
1.	29-सामान्य	357.17
2.	30-अनुसूचित जाति	53.33
3.	31- अनुसूचित जनजाति	21.60
	कुल योग	432.10

(Rupees Four Hundered Thirty Two Lakh Ten Thousand Only)

- (1) उक्त प्राविधानित धनराशि का व्यय करते समय कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्रों में निहित समस्त प्राविधानों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा योजना हेतु स्वीकृत कार्ययोजना मानकों एवं मदों एवं वित्तीय अनुपात प्रावधानों के अनुसार किया जाय जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (2) योजनान्तर्गत अवमुक्त उपरोक्त केन्द्रांश धनराशि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय अनुपात(केन्द्रांश एवं राज्यांश) के अनुसार ही नियमानुसार अवमुक्त किया जाय।

कमश:.....2

- (3) उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में यदि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं सम्बन्धित योजनाओं का भी समावेश किया गया हो, तो इस सम्बन्ध में धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि सम्बन्धित सभी औपचारिकताएँ यथा योजना/कार्य की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो, तथा डी0पी0आर0 टी0ए0सी0, ई0एफ0सी0, नियोजन विभाग से परिव्यय की उपलब्धता इत्यादि औपचारिकताएँ पूर्ण हैं।
- (4) उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)xxvii(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2010 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कौशल निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- (6) निर्माण कार्यों के लागत व वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल 2012 के सम्बन्धित प्रस्तारों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
- (8) निदेशक उद्यान उक्त धनराशि प्राथमिकता के आधार पर समुचित प्रक्रियानुसार नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, को उक्त धनराशि नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष समुचित प्रावधान कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक उद्यान के माध्यम से ससमय यथोचित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे।
- (9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-29, 30 एवं 31 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।
- (10) यह आदेश पत्रावली में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति तथा अलॉमेन्ट आइ0 डी0 संख्या S1712290320, S1712300321 एवं S1712310322 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।  
दिनांक: 29 दिसम्बर, 2017

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)  
अपर सचिव।


कमश:.....3

संख्या- 2041 /XVI-1/19/5(7)/13TC, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- राज्य योजना आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 9- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 10- नोडल अधिकारी रा0सू0सि0मि0राजकीय उद्यान सर्किट हाऊस देहरादून।
- 11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से



( विकास कुमार श्रीवास्तव )

अनु सचिव।

